डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ओमप्रकाश बनाम उर्मिला

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 91/2020
पेश करने की दिनांक – 10.09.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई प्रतिवादी स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 1720/314/1 रकबा 0.1120 जो खसरा नम्बर 314 के बाये अर्थात उत्तर दिशा की तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 9 की होगी तथा खसरा नम्बर 1720/314 रकबा 0.1120 जो खसरा नम्बर 314 के दाये अर्थात दक्षिण दिशा की भूमि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2, 3, व 5 से 8 की होगी उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 12 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 91/2020

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र जयकिशन
2. गोविन्द नारायण पुत्र जयकिशन
3. मुरलीधर पुत्र जयकिशन जाति महाजन नि. दिलवाडा, नसीराबाद

— — वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. उर्मिला पत्नी गोपाकिशन जाति महाजन नि0 ज्ञान विहार कॉलोनी वार्ड न0 1 अजमेर
2. ज्योति पुत्री शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद.
3. दीपिका पुत्री शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद.
4. मनीष पुत्र गोपीकिशन जाति महाजन नि0 ज्ञान विहार कालोनी, अजमेर.
5. रूपचन्द पुत्र शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद.
6. संतोष पत्नी शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद.
7. सुप्रिया पुत्री शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद.
8. सुलेखा पुत्री शिवप्रसाद जाति महाजन नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
9. अनीष पुत्र गोपीकिशन जाति महाजन नि0 ज्ञान विहार कार्लोनी वार्ड न0 1 , अजमेर.
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— — प्रतिवादीगण :– 3, 5, 8, 1, 4, 9 स्वयं उपस्थित व 2, 6, 7 जरियें पावॅर आफॅ अटोर्नी होल्डर उपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 188, राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.12.20

वादी ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर प0म0 देराठू के हाल खसरा नम्बर 1720/314 रकबा 0.2240 की आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में बाहामी विभाजन हो गया है। तथा दोनो पक्षकार उक्त आराजी पर बाहामी विभाजन के अनुसार ही काबिज काश्त है। किन्तु आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8, 9 ने स्वयं व प्रतिवादी संख्या 2, 6 व 7 के पावॅर अटोर्नी होल्डर व वादीगण ने उपस्थित हो कर राजीनामा [illegible] के तथ्यों को स्वीकार किया व सहमती पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 1720/314/1 रकबा 0.1120 जो खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर 314 के बाये अर्थात उत्तर दिशा की तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 9 की होगी तथा खसरा नम्बर 1720/314 रकबा 0.1120 जो खसरा नम्बर 314 के दाये अर्थात दक्षिण दिशा की भूमि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2, 3, व 5 से 8 की होगी। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने उक्तानुसार विभाजन हेतु सहमती प्रकट की है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आरराजी का विभाजन नही हुआ है। हाल जमाबंदी अनुसार उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 9 का 1/2 हिस्सा व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 व 5 से 8 का 1/2 हिस्सा अंकित है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज है। उभयपक्ष ने विभाजन हेतु सहमती पेश की है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वाद के तथ्यों का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

अतः वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 1720/314/1 रकबा 0.1120 जो खसरा नम्बर 314 के बाये अर्थात उत्तर दिशा की तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 9 की होगी तथा खसरा नम्बर 1720/314 रकबा 0.1120 जो खसरा नम्बर 314 के दाये अर्थात दक्षिण दिशा की भूमि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2, 3, व 5 से 8 की होगी उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested